UPLK010182242023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 3017/2023</u>

सरकार **बनाम** हरिशंकर आदि

अ0सं0 296/2023

धारा–306,406,504 भा0द0सं0 एवं

धारा 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट

थाना–बन्थरा, लखनऊ।

<u>12–12–2022</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण हरिशंकर व संदीप कुमार जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष ज्येष्ठ लोक अभियोजक अधिकारी ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि तन्मय सिंह यादव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 504, 406 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(V) के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 22.12.2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010182242023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 3017/2023</u>

सरकार **बनाम** हरिशंकर आदि

अ0सं0 296/2023
धारा–306,406,504 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(2)(V) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट
थाना–बन्थरा, लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण हरिशंकर व संदीप कुमार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 28–08–2023 को समय अदम तहरीर, थाना बन्थरा जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम खसरवारा में आप लोगों ने वादी मुकदमा विनित कुमार वर्मा के पिता मुन्नी लाल को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप शोभा द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा विनित कुमार के पिता मुन्नी लाल से बहन की शादी के नाम पर 2,00,000/– रूपये लेकर आपराधिक न्याय भंग किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–406 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा विनित कुमार के पिता मुन्नी लाल को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा विनित कुमार के पिता मुन्नी लाल (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से मु0 2,00,000/– रूपये लेकर आपराधिक न्यास भंग किया और मुन्नी लाल को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 12–12–2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 12–12–2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06085

Digitally signed by DINESH KUMAR MISHRA
Date: 2023.12.12 12:41:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court